

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4365/2022

ममता नायक

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
एवं अन्य

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022

आदेश की दिनांक : 31.10.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मु. जैतुसर, सहायक निदेशक कृषि (वि.) श्रीमाधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 25.08.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन से मु. कान्हडका सहा. निदेशक, कृषि (वि.) किशनगढबास अलवर में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीया का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थीया के स्थान पर समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही यह स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थीया गर्भवती है। अपीलार्थीया को मातृत्व अवकाश अवधि 25.08.2022 से 20.02.2023 तक के लिए स्वीकृत किया गया है, इसके बावजूद भी मातृत्व अवकाश के दौरान अपीलार्थीया का स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थीया का स्थानान्तरण मातृत्व अवकाश के दौरान किया जाना प्रकट हुआ है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण न किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25.08.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत थी।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)